(97)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
70/2016/प्रा.पत्र/2016	09.11.2016	08.08.2019

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.... प्रार्थी

बनाम

1– श्री राजकुमार केसवानी पुत्र वादूमल केसवानी जाति सिन्धी निवासी फूटी बावडी भट्टो का मोहल्ला निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स राजू किराणा स्टोर सब्जी मण्डी निवाई जिला टोंक।
2– मैसर्स राजू किराणा स्टोर सब्जी मण्डी निवाई जिला टोंक।
3–श्री सुरेश चन्द जैन पुत्र रूपचन्द जैन प्रोपरायटर मैसर्स सुरेश चन्द राहूल कुमार जैन चौहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक राज0
4– मैसर्स सुरेश चन्द राहूल कुमार जैन चौहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक राज0
5–श्री मनसाराम पुत्र भुवनेश्वर निवासी 707 गुलाब बाग दायरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 नॉमिनी मैसर्स उत्तम चन्द देशराज पुरोहित पाडा ब्रहापुरी जयपुर राज0
6– मैसर्स उत्तम चन्द देशराज पुरोहित पाडा ब्रहापुरी जयपुर राज0
...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी स्वंय उपस्थित

दिनांक 08.08.2019

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.03.2016 को समय 12.30 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स राजू किराणा स्टोर सब्जी मण्डी निवाई जिला टोंक पर पहुंचां। प्रोपरायटर की हैसियत से राजकुमार केसवानी पुत्र वादूमल केसवानी जाति सिन्धी निवासी फूटी बावडी भट्टो का मोहल्ला निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स राजू किराणा स्टोर सब्जी मण्डी निवाई जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नही होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान की रैंक मे **लाल मिर्च पावडर (ओ.एस.एफ. ब्राण्ड)** जिसके बैच नं. 10 व पैकिंग दिनांक जनवरी/2016 अंकित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, एफ.बी.ओ. श्री राजकुमार केसवानी को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता राजकुमार केसवानी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान की रैक मे 30 पैकेट पैक्ड अवस्था मे प्रत्येक 500–500 ग्राम **लाल मिर्च पावडर (ओ.एस.एफ. ब्राण्ड)** मे से 4 मूल पैक को ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड मूल पैक वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ.

**अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक**

893

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

श्री राजकुमार केसवानी को रू0 360/–अक्षरे तीन सो साठ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **लाल मिर्च पावडर (ओ.एस.एफ. ब्राण्ड)** 4 मूल पैक को एक–एक नग के बराबरा चार भाग तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेवलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1287 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1287 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.वी. ओ. राजकुमार केसवानी के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री राजकुमार केसवानी ने मौके पर **लाल मिर्च पावडर (ओ.एस.एफ. ब्राण्ड)** वतोर वारन्टी मैसर्स सुरेश चन्द राहूल कुमार जैन चौहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक राज0 का बिल क्रमांक/ इन्वॉइस नं. 3587 दिनांक 01.02.2016 की छायाप्रति प्रति पेश की। मैसर्स सुरेश चन्द राहूल कुमार जैन चौहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक राज0 ने मैसर्स उत्तम चन्द देशराज पुरोहित पाडा ब्रहापुरी जयपुर राज0 का बिल क्रमांक/ इन्वॉइस नं. 13260 दिनांक 21.01.2016 की छायाप्रति प्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./16/2386 दिनांक 16.06.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/138/एक्ट/2016/188 दिनांक 01.04.2016 अनुसार राजकुमार केसवानी से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **लाल मिर्च पावडर (ओ.एस.एफ. ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf)(c)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **लाल मिर्च पावडर (ओ.एस.एफ. ब्राण्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49)में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने वहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **लाल मिर्च पावडर (ओ.एस.एफ. ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने वहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **लाल मिर्च पावडर (ओ.एस.एफ. ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) अप्रार्थी श्री

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

राजकुमार केसवानी पुत्र वादूमल केसवानी जाति सिन्धी निवासी फूटी बावडी भट्टो का मोहल्ला निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स राजू किराणा स्टोर सब्जी मण्डी निवाई जिला टोंक पर शास्ती 2,000/– (अक्षरे दो हजार रू0) अप्रार्थी श्री सुरेश चन्द जैन पुत्र रूपचन्द जैन प्रोपरायटर मैसर्स सुरेश चन्द राहूल कुमार जैन चौहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक राज0 पर शास्ति 3,000 (अक्षरे तीन हजार रू0) अप्रार्थी श्री मनसाराम पुत्र भुवनेश्वर निवासी 707 गुलाब बाग दायरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 नॉमिनी मैसर्स उत्तम चन्द देशराज पुरोहित पाडा ब्रहापुरी जयपुर राज0पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 08.08.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय टोंक

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Scanned by CamScanner